



## स मा चार

### पिछड़ा एवं अजा-अजजा वर्ग कल्याण की समितियों की संयुक्त बैठक वंचित वर्ग को अधिकार दिलाने में समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका – श्री गिरीश गौतम

भोपाल, 2 फरवरी, 2022। मध्यप्रदेश विधानसभा की दो नवगठित समितियों – पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति की बैठक बुधवार को मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश गौतम की उपस्थिति में विधानसभा के समिति कक्ष क्रमांक 1 में संपन्न हुई। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने समस्त समितियों के सभापतियों के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लंबित कार्यों एवं आगामी वर्ष के कार्यों की रूपरेखा पर मंत्रणा भी की।

इस अवसर पर अपने संबोधन में माननीय अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण, उनके अधिकारों के संरक्षण एवं शासन-प्रशासन में उनकी सहभागिता बढ़ाने में इन समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये समितियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की ऐसी जातियां या व्यक्ति जो कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं, प्रदत्त आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं से वंचित है उन्हें उनके समग्र अधिकार प्रदान कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगी।

श्री गौतम ने कहा कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति का कार्य संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड 2 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर जहां तक कि उनका संबंध मध्यप्रदेश राज्य से हो पर विचार करना एवं सभा को प्रतिवेदन देना कि राज्य सरकार द्वारा उनके क्षेत्राधीन विषयों के बारे में राज्य सरकार को क्या कार्यवाही करना चाहिए। इसीतरह पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का कार्य संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए राज्य शासन द्वारा किए गए उपायों का परीक्षण करना है। समितियों द्वारा समय-समय पर इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं एवं भविष्य में भी यह क्रम जारी रहेगा।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री एपी सिंह ने कहा कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए इस समिति का गठन सर्वप्रथम 9 अप्रैल 1975 को किया गया था, इसके पश्चात 11 अक्टूबर 1998 को पिछड़ा वर्ग को समिति के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया गया। तदोपरांत पुनर्गठन करते हुए पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पृथक समिति का गठन 24 दिसंबर 2021 को किया गया। आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में हुई बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सार्थक है, एवं इससे आगे की दिशा प्राप्त होगी।

बैठक में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सभापति इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्यगण सर्वश्री जयसिंह मरावी, श्रीमती सुलोचना रावत, मेवाराम जाटव, कमलेश जाटव, दिलीप मकवाना, डॉ. योगेश पंडाग्रे, डॉ. हीरालाल अलावा, पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यगण श्री कमलेश्वर पटेल, श्री बैजनाथ कुशवाहा, श्री प्रदीप पटेल, श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी उपस्थित थे। इसके साथ संयुक्त बैठक में लोकलेखा समिति के सभापति श्री पी.सी.शर्मा, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, प्राक्कलन समिति के सभापति श्री रामपाल सिंह, विशेषाधिकार समिति के सभापति डॉ. राजेंद्र पाण्डेय, याचिका समिति के सभापति श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, कृषि विकास समिति के सभापति श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य सुविधा समिति के सभापति श्री शैलेंद्र जैन, प्रत्यायुक्त विधान समिति की सभापति श्रीमती गायत्री राजे पंवार, पटल पर रखे गए पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति के सभापति श्री पंचूलाल प्रजापति उपस्थित थे।

वि.स./ज.स./22

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव